भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 231*
09 जुलाई, 2019 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र

231. श्री नायब सिंह सैनीः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हरियाणा के कुरूक्षेत्र में किसी नये खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्रीमती हरसिमरत कौर बादल)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों के बारे में 09 जुलाई, 2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 231* के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): जी, नहीं । कुरक्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रलाय अपने स्तर पर कोई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग/यूनिट/परियोजना/संयंत्र स्थापित नहीं करता है । यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों/यूनिटों/परियोजनाओं/संयंत्रों की स्थापना करने के लिए व्यक्तियों, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओज), उद्यमियों, सहकारी समितियों, सोसायटियों, स्व-सहायता समूहों (एसएचजीज), निजी कंपनियों और केंद्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि को प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) की अपनी अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता पूंजी सब्सिडी के तौर पर देता है ।

*****